



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2404]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 23, 2017/भाद्र 1, 1939

No. 2404]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 23, 2017/BHADRA 1, 1939

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2743(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बैंक और प्रयोजक बैंकों से परामर्श करने के पश्चात् प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) नियमावली, 2017 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

1 (1) इन नियमों को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) संशोधन नियमावली, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) नियमावली, 2017 में तीसरी अनुसूची में, स्तम्भ (8), मद (iii) के अंतर्गत प्रविष्टियों में कार्यालय सहायक (बहुउद्देशीय) समूह 'ख' के पद के संबंध में क्रम सं. 6 के सामने "लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कट-ऑफ 40%" शब्दों और अंकों के पश्चात् "सामान्य चैनल के अंतर्गत पदोन्नति के मामले में तथा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के कुल योग का न्यूनतम कट-ऑफ 45% फास्ट ट्रेक चैनल के अंतर्गत पदोन्नति के मामले में" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 7/25/2012-आरआरबी]

सुचीन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना का.आ.987(अ), 29 मार्च, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2743(E).— In exercise of the powers conferred by section 29 read with section 17 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the National Bank and the Sponsor Banks, hereby makes the following amendments in the Regional Rural Banks (Appointment of Officers and Employees) Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Regional Rural Banks (Appointment of Officers and Employees) Amendment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regional Rural Banks (Appointment of Officers and Employees) Rules, 2017, in the Third Schedule, against serial number 6, relating to the post of Office Assistant(Multipurpose) Group 'B', in the entries under column (8), in item (iii), after the figures and words "40% in aggregate of written test and interview", the words and figures "in case of promotion under normal channel and 45% in aggregate of written test and interview in case of promotion under fast track channel" shall be inserted.

[F. No. 7/25/2012-RRB]

SUCHINDRA MISRA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O.987(E), dated the 29th March, 2017.